1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) संशोधन आदेश, 1993 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) आदेश, 1954 के पैरा 2 में (भाग 18 से संबंधित), उपपैरा (13) में, खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

'(खख) अनुच्छेद 356 के खण्ड (1) में, द्वितीय परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

परन्तु यह भी कि जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में तारीख 18 जुलाई, 1990 को खण्ड (1) के अधीन जारी की गई उद्घोषणा की दशा में, इस खंड के प्रथम परन्तुक में "तीन वर्ष" के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह "चार वर्ष" के प्रति निर्देश है।'

एस. डी. शर्मा,
राष्ट्रपति।

[फा. सं. 19(2)/93-विधायी I]
के. एल. मोहनपुरिया, सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th February, 1993

G.S.R. 84(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

"C.O. 151"

THE CONSTITUTION (APPLICATION TO JAMMU AND KASHMIR) AMENDMENT ORDER, 1993

In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 370 of the Constitution, the President, with the concurrence of the Government of the State of Jammu and Kashmir, is pleased to make the following Order :—

1. (1) This Order may be called the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Amendment Order, 1993.

(2) It shall come into force at once.

2. In paragraph 2 of the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 1954, in sub-paragraph (13) (relating to Part XVIII) after clause (b), the following clause shall be added, namely:—

'(bb) in clause (4) of article 356, after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely :—

Provided also that in the case of the proclamation issued under clause (1) on the 18th day of July, 1990 with respect to the State of Jammu and Kashmir, the reference in the first proviso to this clause to "three years" shall be construed as a reference to "four years".'

S. D. SHARMA,
PRESIDENT.

[F. No. 19(2)|93 L.I]

K. L. MOHANPURIA, Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993

रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 66] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 25, 1993/फाल्गुन 6, 1914
No. 66] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 25, 1993/PHALGUNA 6, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 1993

अधिसूचना

सा.का.नि. 85(अ).—केन्द्रीय सरकार का यह विचार है कि भारत की सुरक्षा के हित में और लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है:—

अतः केन्द्रीय सरकार, दंड विधि संशोधन अधिनियम, 1961 (1961 का 23) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 287 (अ), तारीख 27 जून, 1974 को, जिसे भारत सरकार की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 432(अ), तारीख 17 जुलाई, 1980 द्वारा संशोधित किया गया था, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, इससे उपाबद्ध अनुसूची-1 में वर्णित क्षेत्रों को अधिसूचित क्षेत्र घोषित करती है, और उस धारा की उपधारा (3) के प्रयोजन के लिए फरवरी, 1993 को उस दिन के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिसको और जिसके पश्चात् निम्नलिखित से:

(क) भारत का कोई नागरिक:

(ख) ऐसा व्यक्ति, जिसके पक्ष में अनुज्ञापत्र विदेशी (संरक्षित क्षेत्र) आदेश, 1958 के अधीन जारी किया गया है, और

(ग) ऐसा व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है किंतु जिसे केन्द्रीय सरकार या हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इस अधिसूचना के प्रवर्तन से विशेष रूप से छूट प्रदान की गई है,

भिन्न कोई व्यक्ति न तो उक्त क्षेत्र में प्रवेश करेगा न ही प्रवेश करने का प्रयत्न करेगा न ही वह इससे उपाबद्ध अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट प्ररूप में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा उसे लिखित रूप में